संख्या-815/2018/1051/22-2-2018-17(148)/2016

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर भारती पुत्र श्री बैजनाथ भारती, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0(बैठक 15-05-2018) दिनांक 14.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमाशंकर भारती पुत्र श्री बैजनाथ भारती, जो- ग्राम-तुलसीसागर, थाना-कोतवाली, जनपद-गाजीपुर का रहने वाला है। बन्दी दिनांक 19.04.1986 को 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से फायर करके 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-136/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वियतीय अपर सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के आदेश दिनांक 22.09.2088 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2018 तक 05 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 09 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा,कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उमाशंकर भारती (बन्दी संख्या-21/15) पुत्र श्री बैजनाथ भारती, निवासी जनपद-गाजीपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-815/2018/1051(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in